

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

विनास आदि

बनाम

धर्मपाल आदि

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 29/2021

निर्णय दिनांक :- 04-10-2021

वादी की ओर से वकील मुंजी राम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं० 1 व 2 की ओर से वकील मानुप्रताप सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही भोजा 1 परिसर के खाता सं० 176/168 के मु.नं. 29 के खिले नं० 6 ता 9, 12 ता 13, 23 ता 25 कुल 3.7950 हे० नुस्री भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम से 146-1 हिस्सा खेतवारी यज है मैं से अकेले प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल के नाम पर वादीगण व प्रतिवादी सं० 2 के सहित कर वर के खाते पर काश्तकार घोषित किया जावे है। मुंजी प्रतिवादी सं० 2 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के नाम द्वारा कर अन्वय कर लिया है मुंजी हक कागज किन्ने गंध हिस्स पर पंजीपत्र विगाण का डेय पंजीपत्र मुल्य एवं हयान्य उपर्युक्त अया करन व हयि मुंजी के हक के रहने ही तो रहने मुंजी को उपरोक्त ही रूप से रिक्वायर्ड में अमल यरामय किया जावे। राजीनामा का डेय का भाग पठा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
R.A.S.  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़